राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध अंतरिम जमानत आवेदन संख्या 12292/2024

गोविंद सुखवाल पुत्र श्री रामचंद्र सुखवाल, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी लक्ष्मी नाथ मंदिर के पास, ग्राम पोस्ट खाचरोई, थाना मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा (वर्तमान में जिला जेल, भीलवाड़ा में बंद)

----अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ, एनसीबी के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री जयपाल सिंह
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री एम.आर. पारीक, एनसीबी के लिए विशेष पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

26/09/2024

1. याचिकाकर्ता की ओर से तत्काल अंतरिम जमानत आवेदन दायर किया गया है, जिसमें उसे उसकी दादी की मृत्यु के 12 वें दिन के अनुष्ठानों में भाग लेने के आधार पर एक महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/29 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का तर्क है कि याचिकाकर्ता की दादी का निधन 17.09.2024 को हो गया था और सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार, 12 वें दिन के अनुष्ठान 28.09.2024 और 29.09.2024 को किए जाएंगे, इसलिए याचिकाकर्ता को अनुष्ठानों में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है।

3. विद्वान सरकारी वकील ने अंतरिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा है कि ऐसी संभावना है कि अगर उसे अंतरिम जमानत दी जाती है तो याचिकाकर्ता भाग सकता है और फरार हो सकता है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, विद्वान सरकारी वकील द्वारा दी गई दलीलों को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

5. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मानवीय आधार पर और न्याय के हित में, आरोपी-याचिकाकर्ता की वर्तमान अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार की जाने योग्य है और उसे उपरोक्त आधार पर तीन दिन (28.09.2024 से 30.09.2024) की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

6. परिणामस्वरूप, वर्तमान अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार की जाती है और यह आदेश दिया जाता है कि एफआईआर के संबंध में गिरफ्तार याचिकाकर्ता गोविंद सुखवाल पुत्र श्री रामचंद्र सुखवाल को जमानत पर रिहा किया जाए। पुलिस स्टेशन एनसीबी, जिला जोधपुर के अपराध क्रमांक VIII(10)12/एनसीबी/जेजेडयू/2023 के अनुसार, याचिकाकर्ता को दिनांक 28.09.2024 से 30.09.2024 तक तीन दिन की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। यह इस शर्त के अधीन है कि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 5,00,000/- रुपये के निजी बांड और 2,50,000/- रुपये के दो जमानतदार प्रस्तुत करेगा। जिसमें से एक जमानतदार आवेदक का रिश्तेदार होगा जिसके पास अपने नाम पर अचल संपत्ति के दस्तावेज होंगे।

7. किसी भी स्थिति में, याचिकाकर्ता को उपर्युक्त अंतरिम जमानत की अवधि का लाभ उठाने के बाद संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

8. तदनुसार, वर्तमान अंतरिम जमानत आवेदन का निपटारा किया जाता है।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के

लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।